मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.एफ.1/22/02/पी.एम.यू/ 2949 भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2017

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग,
समस्त बजट शाखा,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल

विषय:-बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति में वित्त विभाग के संबंधित बजट शाखा के प्रमुख सचिव/सचिव को सदस्य नांमाकित करने के सम्बन्ध में।

=O=

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों द्वारा बाह्य वित्त पोषण हेतु परियोजना प्रस्ताव संचालनालय संस्थागत वित्त में प्रस्तुत किए जाते है। संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा इन प्रस्तावों को आवश्यक परीक्षण हेतु वित्त विभाग को अग्रेषित किये जाते है। वित्त विभाग द्वारा प्राप्त अभिमत के आधार पर इन प्रस्तावों को बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते है। राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त यह प्रस्ताव विभाग द्वारा भारत सरकार को बाह्य वित्त ऐजेन्सी को अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किये जाते है।

2. पूर्ण .विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बाह्य वित्त पोषित परियोजना प्रस्ताव पर निर्णय हेतु आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में विभाग से सम्बंधित बजट शाखा के प्रमुख सचिव/सचिव समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किये जाते है।

3. अत: बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठकों में सम्बंधित बजट शाखा के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा सहभागिता किया जाना अपेक्षित है।
(माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा अनुमोदित)

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

पृष्ठाकंन क्र. एफ.1/22/02/पी.एम.यू/ 2950 भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2017

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, मन्त्रालय, भोपाल
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मन्त्रालय, भोपाल

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग